न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

उपस्थित– अजय श्रीवास्तव,

(एच०जे०एस०)

J.O.Code U.P. 2403

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–2175/2026

निलेश राजभर उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र सूर्यमणी राजभर साकिन जेठहरी, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ० प्रदेश सरकार ..... विपक्षी

मु०अ०सं०–83/2026

धारा–115(2), 352, 351(3), 3(5) व 109 BNS

थाना–दीदारगंज, जिला आजमगढ़े

दिनाँक–05.06.2026

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्थानीय दीदारगंज के मु०अ०सं०–83/2026, धारा–115(2), 352, 351(3), 3(5) व 109 BNS जनपद आजमगढ़ के मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है और यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र में जो बातें लिखी हैं वह सही व सत्य हैं। कोई बात छिपायी नहीं गयी हैं।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक पंकज कुमार सिंह द्वारा स्थानीय थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह मय हमराह कां० हितेन्द्र यादव मय पुलिस बल के चौकी क्षेत्र मार्टीनगंज में मामूर था कि सूचना मिली कि दि० 10/05/26 को ग्राम जेठहरी में दो पक्षों के मध्य मारपीट हुई है। इस सूचना पर वह मय हमराह कां० हितेन्द्र यादव के ग्राम जेठहरी पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि दि0

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.06.05 11:27:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

10/05/26 को गाँव में ही बहूभोज कार्यक्रम में शामिल होने गये प्रथम पक्ष के राम सोहाग उम्र 45 वर्ष, कुन्दन उम्र 38 वर्ष सतीश राजभर उम्र 32 वर्ष पुत्रगण इशलाल, विरेन्द्र राजभर पुत्र कुंदन राजभर उम्र 22 वर्ष, फिरतू राजभर पुत्र बेचन राजभर उम्र 55 वर्ष नि० ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ व द्वितीय पक्ष के विजय राजभर पुत्र खेतर राजभर उम्र 50 वर्ष, निलेश राजभर पुत्र सूर्यमणि राजभर उम्र 25 वर्ष विनोद राजभर पुत्र लालमणि राजभर, अमन राजभर पुत्र विजय राजभर निवासीगण ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ आपस किसी बात की पूछाताछ को लेकर दोनों पक्ष आपस में मारपीट, गाली गलौज करने तथा एक दूसरे को जान से मारने की नियत से मारपीट करते हुए धमकी देने की घटना में आपस में काफी बुरी तरह मारपीट कर चोटिल हो गये हैं। दोनों पक्ष का मेडिकल परीक्षण पीएचसी मार्टीनगंज से कराया जा चुका है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 115(2), 352, 351(3), 3 (5), 109 बीएनएस का अपराध पाया जा रहा है। दोनों पक्षों में अभी भी तनाव व्याप्त है। मौके पर पुलिस गश्त करायी जा रही है। दोनों पक्ष पर निगरानी किया जा रहा है। दौराने विवेचना मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार की जाये। अनुरोध किया गया कि कि ग्राम जेठहरी में हुए दोनों पक्षों के बीच मारपीट के संबन्ध में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत पर बल देते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है रंजिशन व साजिशवश मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक का कोई पूर्व का अपराधिक इतिहास नहीं है और उनके द्वारा जमानत का कभी दुरुपयोग नहीं किया किया जायेगा। उपरोक्त मामले में आवेदक के विपक्षीगण योजना बनाकर हमलावर होकर आवेदक के पक्ष के लोगों को मार पीट कर गम्भीर चोट पहुँचाये। आवेदक के पक्ष से थाने पर दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया मुकदमा पुलिस उपनिरीक्षक पंकज कुमार सिंह को वादी मुकदमा बनाते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रस्ततु मामले में अभियोजन कथानक एवं चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर मामला 109 बी०एन०एस० की परिधि में गठित नहीं होता है। प्रस्तुत मामले की सच्चाई को छिपाते हुये झूठी तहरीर प्रस्तुत की गई है और वादी मुकदमा स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। हस्तगत मामले में आवेदक के विरूद्ध लगाई गयी धारा 109 बी०एन०एस० के आवश्यक तथ्यों की विद्यमानता नहीं है। आवेदक को आयी चोटों की कोई व्यख्या अभियोगजन कथानक में प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक जमानत आदेश में लगाई गई सभी शर्तों का पूरी निष्ठा व इमानदारी से पालन करेगें। उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई चूक नही होगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मामले की विवेचना व विचरण में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा और साक्ष्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जायेगा। आवेदक का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके

अलावा कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नही है। उपरोक्त आधार पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी पक्ष को मार पीट कर गम्भीर चोटें पहुँचायी गयी हैं। चोटें गम्भीर प्रकृति की हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का परिशीलन के उपरांत प्रकरण में यह सुसंगत है कि कथित घटना पक्षकारों द्वारा मार पीट किये जाने के उपरांत हुई है तथा मार पीट की सूचना पा कर उपनिरीक्षक पंकज कुमार सिंह को मौके पर जाना तथा उपनिरीक्षक द्वारा ही पक्षकारों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। यह भी सुसंगत है कि कथित घटना के सम्बन्ध में किसी पक्षकार द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध आघात आख्या से स्पष्ट है कि मात्र चोटहिल विनोद के बायें हाथ की लिटिल फिंगर में फ्रैक्चर आना एक्सरे रिपोर्ट में दर्शित है, इसके अतिरिक्त किसी भी चोटहिल के एक्सरे रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर आना नहीं पाया गया है तथा चोटहिलों की अधिकतर चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। प्रकरण में यह भी सुसंगत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग एक माह पूर्व दर्ज करायी गयी है, किन्तु अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गयी है। इस स्तर पर आवेदक द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है न ही अभियोजन की ओर से आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गणुदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त निलेश कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में यदि आवेदक को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दौरान विवेचना गिरफ्तार किया जाता है तो आवेदक/अभियुक्त द्वारा रू० 50,000/ (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की सन्तुष्टि का दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रकरण के विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा,
2. गवाहों पर अनुचित दबाव नहीं डालेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,

3. आरोप सृजित करते समय, अभियुक्त का बयान अंकित किये जाते समय या न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर किसी भी समय अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करायेगा,

4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर विदेश/बाहर नहीं जायेगा,

अवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय अग्रिम जमानत निरस्त कर सकेगा।

दिनाँक–05.06.2026

(अजय श्रीवास्तव)
J.O.Code UP 2403
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़